सं0 1617 / 9—आ—3—97—38(विविध) / 97

प्रेषक :

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

2. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3. आयुक्त,
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग—3

लखनऊ : दिनांक 01. मई, 1997

विषय : नगर के नये क्षेत्रों एवं विकासशील क्षेत्रों के आवासीय मानचित्र स्वीकृत करने के सम्बन्ध में नीति।

महोदय,

नगर के नये विकासशील क्षेत्रों में विकास प्राधिकरणों एवं उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा कालोनियों का विकास किया जाता है, ऐसी कालोनियों / क्षेत्रों में भवन मानचित्रों की स्वीकृति की प्रक्रिया और अधिक सरल बनाये जाने का निर्णय लिया गया है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि नये क्षेत्र एंव विकासशील क्षेत्रों के आवासीय मानचित्र को स्वीकृत करने में निम्न प्रक्रिया अपनाई जाये।

1. नये एकल आवासीय भूखण्डों के रजिस्ट्री के समय ही निर्धारित शुल्क जमा करा कर आवंटी को उसके भूखण्ड पर निर्माण हेतु एक स्टैण्डर्ड मानचित्र दे दिया जायेगा जिसके आधार पर आवंटी बिना किसी अन्य स्वीकृति के भवन निर्माण कर सकेगा। ऐसे मानचित्र में आवंटी सुविधानुसार आन्तरिक परिवर्तन कर सकेगा। परन्तु मानचित्र में सेट—बैक व खुले हुए स्थान पर कोई परिवर्तन न कर सकेगा। यह सुविधा 300 वर्गमीटर तक के भूखण्ड पर लागू होगी। प्रयास यह भी किया जाये कि विभिन्न आकार के भूखण्डों के लिए स्टैण्डर्ड मानचित्रों की एक पुस्तिका उपलब्ध करायी जाय जिससे सुविधानुसार चयन किया जा सके।

2. स्टैण्डर्ड मानचित्रों से भिन्न किसी डिजाईन के अनुसार निर्माण करने के लिए दाखिल मानचित्र पर अर्ह वास्तुविद द्वारा यह प्रमाण दिये जाने पर कि मानचित्र महायोजना तथा बायलॉज के प्राविधानों के अनुसार है, किसी अन्य स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। मानचित्र जमा करते समय यह देख लिया जाये कि सभी आवश्यक कागजात व प्रमाणपत्र आदि लगा दिये गये हैं। नक्शा जमा कराने की प्राप्ति रसीद ही स्वतः स्वीकृति मानी जायेगी। यह सुविधा 300 वर्ग मीटर तक के आवासीय भूखण्ड के लिये उपलब्ध होगी।

3. आवासीय श्रेणी के 300 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के मानचित्र पर स्वीकृति आवश्यक होगी जो 30 दिन की अवधि में अन्तिम रूप से निस्तारित न होने पर स्वतः स्वीकृत मानी जायेगी।

उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव